ठेके के आधार पर काम कर रहे कलाकार

2143. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय में काम कर रहे स्थायी कलाकार अपनी नियुक्ति से लेकर 58 वर्ष की आयु तक ठेके के आधार पर काम करते रहे;

(ख) यदि हां, तो स्वतन्त्र भारत में इतनी लम्बी अवधि तक लोगों को ठेके के आधार पर नियुक्त रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या नियुक्ति की तिथि से 58 वर्ष की आयु होने तक ठेके के आधार पर काम करना श्रम कानूनों के उपबन्धों के अनुरूप है ;

(घ) ठेके के आधार पर काम कराने की पुरानी नीति को जनता सरकार द्वारा समाप्त न किए जाने के क्या कारण है, और

(ङ) इस से सरकार को क्या लाभ हो रहा है, और वे कल्याणकारी राज्य के पक्ष में कहां तक जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) (क) और (ख). प्रत्येक प्रसारण संगठन अपने कार्यक्रम निर्माण में सम्बन्धित विभिन्न कार्य निष्पादित करने के लिये कलाकारों का लगाना आवश्यक समझता है । इन आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए उन को विभिन्न अवधि के ठेकों पर लगाया जाता है । आकाशवाणी और दूरदर्शन ने भी इसी प्रक्रिया को अपनाया था । तथापि हमारे देश में विद्यमान परिस्थितियों की विलक्षणताओं को देखते हुए यह महसूस किया गया था कि जैसा कि अन्य नियमित सरकारी कर्मचारियों के मामले में है, सेवा सुरक्षा के कुछ उपाय स्टाफ आर्टिस्टों के मामले में भी किए जाने चाहिये । तदनुसार आकाशवाणी स्टाफ आर्टिस्टों की शुरू में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सहित तीन वर्ष के ठेके पर नियुक्त करती है । परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने पर ठेके 58 वर्ष की आयु तक बढ़ाए जाते हैं, किन्तु इन को किसी भी पक्ष द्वारा विधिवत नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है । 58 वर्ष की आयु पर पुनरीक्षण करके आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को आम तौर पर 60 वर्ष की आयु तक रखा जाता है । दूरदर्शन में जो 31मार्च, 1976 तक आकाशवाणी का अंग था, स्टाफ आर्टिस्टों की शुरू में एक से चार वर्ष तक की अवधि के लिए अल्पकालिक ठेकों पर रखा जा रहा था । इस समय दूरदर्शन में स्टाफ आर्टिस्टों को 58 वर्ष की आयु तक दीर्घकालिक ठेके दिये जाते हैं सिवाए प्रोड्यूसरों, उनके समकक्ष और उन से उच्च व्यक्तियों के जिन को इन में से कुछ पदों को सिविल पदों में परिवर्तन करने के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय होने तक अल्पकालिक ठेके दिए जा रहे हैं ।

गीत और नाटक प्रभाग, जो स्टाफ आर्टिस्टों को भी लगाता है, के मामले में नान-परफार्मिंग आर्टिस्टों को 58 वर्ष की आयु तक दीर्घकालिक ठेके दिये जाते हैं जबकि परफार्मिंग आर्टिस्टों के मामले में, ठेकों का हर पांच वर्ष के बाद पुनरीक्षण किया जाता है ।

फिल्म प्रभाग में, स्टाफ आर्टिस्टों को 3 वर्ष ठेके पर लगाया जाता है जिसे 58 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है ।

(ग)से (ङ). 58 वर्ष या इस से कम की आयु होने तक काम करने के लिए ठेके के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना इस देश के किसी भी श्रम कानून के विरुद्ध नहीं है ।

इस बात से कि स्टाफ आर्टिस्ट ठेके पर काम करते हैं, उन की सेवा सुरक्षा प्रभावित नहीं हुई है क्योंकि नियमित सरकारी कर्मचारियों को जो लाभ उपलब्ध हैं उन में से अधिकांश लाभ उन को भी दिए जाते हैं । इस के अलावा, आकाशवाणी में काम करने वाले लगभग सभी स्टाफ आर्टिस्टों के मामले में, उन का सेवाकाल 60 वर्ष है जब कि नियमित सरकारी कर्मचारियों का 58 वर्ष है । स्टाफ आर्टिस्टों की ठेका पद्धति जारी रखने और/या उन की सेवा शर्तों में सुधार करने का प्रश्न सरकार द्वारा सतत पुनरीक्षण का मामला है ।

Paid up capital, investment and profit of Abbot

2144. SHRI SARAT KAR: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the paid up capital of M/s. Abbot;

(b) what is their investment in Machinery;

(c) what is their profit in the last three years; and

(d) what is their contribution in form of technology?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) to (c). The full name of M/s. Abbot is M/s. Abbot Laboratories (India) Private Limited. The information about its paid-up capital, investment in machinery and profits before tax during the last three years is given in the statement annexed.

(d) As per information furnished by the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers the company which is presently engaged in the production of drug formulations, had applied for registration of their Re-